GCMS संख्या 2022/62
प्रकरण संख्या 36/22
श्री श्यामसुन्दर साहू बनाम राज्य सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/62

प्रकरण संख्या 36/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री श्यामसुन्दर साहू   बनाम   तहसीलदार कानोड़

निर्णय

दिनांक : 08.04.2022

1. प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर शाहू निवासी भीण्डर ने प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर मोतिदा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम वरनोदा, पटवार हल्का मोतिदा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 209 के आराजी संख्या 64/2 रकबा 8–00 बीघा भूमि नामान्तरण संख्या 668 से श्यामसुन्दर पिता भगवानलाल साहु तेली निवासी भीण्डर के नाम दर्ज था जबकि भू. प्रबन्धन के बाद वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 200 आराजी संख्या 439 रकबा 1.5700 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 440 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि हरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति सालवी के नाम दर्ज है।
2. उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ से रिपोर्ट जवाब प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार मौजा वरनोदा पटवार हल्का मोतिदा की जमाबन्दी सवत् 2069–72 के खाता संख्या 209 के आराजी संख्या 64/2, कुल रकबा 8–00 बीघा श्याम सुन्दर पिता भगवानलाल साहु (तेली) सा. भीण्डर दर्ज है जिसमें नवीन सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 200 आराजी संख्या 439 रकबा 1.5700 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 440 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9600 हैक्टेयर भूमि हरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति सालवी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं नामान्तरण के अवलोकन के पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 200 आराजी संख्या 439 रकबा 1.5700 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 440 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9600 हैक्टेयर भूमि में से 1.7200 हैक्टेयर भूमि में हरलाल पिता चुन्नीलाल के बजाय प्रार्थी श्री श्यामलाल पिता भगवानलाल साहु के नाम एवं शेष 0.2400 हैक्टेयर किस्म रास्ता बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज करने की अनुशंषा सहित रिर्पोट प्राप्त हुई। जिसकों हमने दर्ज रजिस्ट्रर किया।
3. हमने पत्रावली का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज तथा तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया। मौजा वरनोदा पटवार हल्का मोतिदा की जमाबन्दी सवत् 2069–72 के खाता संख्या 209 के आराजी संख्या 64/2, कुल रकबा 8–00 बीघा श्याम सुन्दर पिता भगवानलाल साहु (तेली) सा. भीण्डर दर्ज है जबकि नवीन भू.प्रबन्धन के पश्चात जमाबन्दी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 200 आराजी संख्या 439 रकबा 1.5700 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 440 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9600 हैक्टेयर भूमि हरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति सालवी के नाम दर्ज है। जबकि वर्तमान में उक्त भूमि में से 1.7200 हैक्टेयर भूमि पर श्यामलाल पिता भगवानलाल साहु काबिज है एवं शेष रकबा 0.2400 हैक्टेयर रास्ते के रूप में है। तहसीलदार कानोड़ की जवाब रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से मौजा वरनोदा पटवार हल्का मोतिदा की जमाबन्दी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 200 आराजी संख्या 439 रकबा 1.5700 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 440 रकबा 0.3900

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9600 हैक्टेयर भूमि हरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति सालवी के बजाय आराजी संख्या 439 रकबा 1.5700 हैक्टेयर भूमि श्यामलाल पिता भगवानलाल जाति साहु के नाम एवं आराजी संख्या 440 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि में से 0.1500 हैक्टेयर भूमि श्यामलाल पिता भगवानलाल जाति साहु के नाम तथा शेष 0.2400 हैक्टेयर भूमि रास्ता बिलानाम गैर काबिल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. अतः तहसीलदार कानोड़ की जवाब रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से मौजा वरनोदा पटवार हल्का मोतिदा की जमाबन्दी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 200 आराजी संख्या 439 रकबा 1.5700 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 440 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9600 हैक्टेयर भूमि हरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति सालवी के बजाय आराजी संख्या 439 रकबा 1.5700 हैक्टेयर भूमि श्यामलाल पिता भगवानलाल जाति साहु के नाम एवं आराजी संख्या 440 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि में से 0.1500 हैक्टेयर भूमि श्यामलाल पिता भगवानलाल जाति साहु के नाम तथा शेष 0.2400 हैक्टेयर भूमि रास्ता बिलानाम गैर काबिल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार कानोड़ राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर संलग्न नक्शे ANNEXURE- C के अनुसार मौके के अनुरूप तरमीम करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner